

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता उपस्थित।  
अनावेदक राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक  
अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान  
अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर ने इस जमानत आवेदन पर स्वेच्छापूर्वक बल नहीं  
देना व्यक्त करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं तद्विषयक  
टीप हांसिये पर अंकित की गई।

अतः बाद विचार आवेदक/अभियुक्त के स्वेच्छिक निवेदन पर यह  
जमानत आवेदन निरस्त किया जाता जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग्य)